भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3001

जिसका उत्तर 06.08.2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग-66 के अरूर से एडप्पल्ली खंड का चौड़ीकरण

3001. श्री हैबी ईडन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजमार्ग-66 के अरूर से एडप्पल्ली खंड पर आठ लेन का एलिवेटेड राजमार्ग बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-66 अरूर से एडप्पल्ली खंड केरल में सर्वाधिक भीड़-भाड़ वाले राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों में से एक है और यदि हां, तो तत्संबंधी यातायात संबंधी तुलनात्मक आंकडे क्या हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-66 के अरूर से एडप्पल्ली खंड, जिसमें कोच्चि मेट्रो कॉरिडोर के कई प्रमुख जंक्शन और क्रासिंग हैं, पर यातायात की अत्यधिक भीड़ को दूर करने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तावित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग-66 का अरूर से एडप्पल्ली खंड एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग खंड है जिसके बारे में सरकार की ओर से कोई स्पष्ट निर्णय या समय-सीमा नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) नेटवर्क को उन्नत बनाने हेतु सरकार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/व्यवहार्यता अध्ययन करती रहती है, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार और यात्रा के समय को कम करना है। एनएच-66 के अरूर-एडप्पल्ली खंड पर मौजूदा 4-लेन कैरिजवे में कोच्चि मेट्रो कॉरिडोर शामिल है। एर्नाकुलम जिले में अंगमाली, अलुवा, कलामास्सेरी, एडप्पल्ली, पलारिवट्टोम, वैट्टिला और कुंदनूर जैसे व्यस्त स्थानों से गुजरने वाले इस खंड में यातायात की भीड़-भाड़ को दूर करने के लिए, अंगमाली (कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट) को अरूर से जोड़ने वाले एर्नाकुलम बाईपास (कोच्चि बाहरी रिंग रोड) के लिए डीपीआर का कार्य सौंप दिया गया है। संरेखण अनुमोदन समिति (एएसी) की बैठक में उक्त परियोजना के संरेखण को मंजूरी दे दी गई थी। परियोजना कार्यान्वयन और निवेश के लिए निर्णय डीपीआर के परिणाम और 29 मई, 2026 को जारी शहरी क्षेत्रों के भीड़भाड़ को कम करने की नीति के अनुपालन के आधार पर लिया जाता है।
